परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांङ्क: 16.08.2017 का कार्यवृत्त

आज दिनांङ्क 16.08.2017, दिन बुधवार को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, प्रति–कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 (श्रीमती) निरंजना शुक्ला, प्राचार्या, जुहारी देवी गर्ल्स पी0जी0 कालेज, कानपुर।	सदस्या
4.	प्रो0 सुभाष अग्रवाल, आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 संजय श्रीवास्तव, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
7.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
8.	डॉ0 सुधांशु पाण्डया, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	श्री उमानाथ, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

मद सं.–1. वर्ष 2017 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं में योजित उड़नदस्तों/परीक्षकों की आख्या पर यू0एफ0एम0 समिति की अनुशंसा पर विचार :–

अनुचित साधन प्रयोग समिति के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा वर्ष 2017 में सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों तथा व्यक्तिगत श्रेणी में आरोपित परीक्षार्थियों पर नकल से सम्बन्धित निर्णय निम्नवत है :–

बिन्दु–01. 471 परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत (Personal) श्रेणी में नकल में रखा गया था, जिसमें से 440 परीक्षार्थियों को आरोपित मानते हुए नियमानुसार परीक्षा निरस्त किए जाने तथा 31 परीक्षार्थियों को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए नकल के आरोप से मुक्त करने का निर्णय परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से लिया।

बिन्दु–02. कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में 89 महाविद्यालयों को उड़नदस्ते की आख्या के आधार पर सामूहिक नकल में आरोपित किया गया जिसमें 27 महाविद्यालय प्रथम बार नकल में आरोपित हुए, 02 महाविद्यालयों की जिलाधिकारी की आख्या के आधार पर पुनः परीक्षा करायी गई तथा 41 महाविद्यालयों को एक से अधिक बार नकल में आरोपित किया गया।

ऐसे महाविद्यालय जिनको वर्ष 2017 की परीक्षा में उड़नदस्ते द्वारा या आन्तरिक परीक्षकों द्वारा पहली बार सामूहिक नकल में आरोपित किया गया है, उनके सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में से 25% अंकों की कटौती कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का निर्णय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया।

वर्ष 2017 की परीक्षा में ऐसे महाविद्यालय जिनकों वर्ष 2017 की परीक्षा के साथ विगत वर्षो में भी 01 या 01 से अधिक बार सामूहिक नकल में आरोपित किया गया है, उनके सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में से 30% अंकों की कटौती कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का निर्णय परीक्षा समिति ने लिया।

साथ ही परीक्षा समिति ने यू0एफ0एम0 समिति की अनुशंसा पर 19 महाविद्यालयों को सामूहिक नकल के आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया।

बिन्दु–03. वर्ष 2017 की परीक्षा में परीक्षकों द्वारा 555 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में सामूहिक नकल की रिपोर्ट की गई। 125 परीक्षार्थियों पर नकल स्थापित न होने के कारण मुक्त किया गया। 430 परीक्षार्थियों पर सामूहिक नकल स्थापित हुई, इनका परीक्षा परिणाम 25% अंकों की कटौती करते हुए घोषित किय जाने का निर्णय परीक्षा समिति ने लिया।

उपर्युक्त बिन्दु 02 एवं 03 पर परीक्षा समिति के सदस्य डॉ0 विवेक द्विवेदी एवं डॉ0 बृजेश यादव द्वारा मौखिक आपत्ति दर्ज करायी गई।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (यू.एफ.एम./परीक्षा/अतिगोपनीय)

सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

16/8/17

(प्रो० जे0वी0 वैशम्पायन)
कुलपति

16.8.17

(उमानाथ)
परीक्षा नियंत्रक